दिनांक 15—12—2020

कोविड—19 के कारण आज पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित नहीं है तथा वादी द्वारा नियुक्त अभिभाषक का देहान्त हो गया है। अतः कोर्ट के माध्यम से वादी को नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 11—02—2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 11—02—2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादी को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से यह वाद दिनांक 31—05—2018 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे करीब3 वर्ष का समय हो रहा है किन्तु वादी द्वारा अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी करवाने में कोई रूचि नहीं ली है और बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)